FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 04/09/2025 13:20 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	177
2	IPC 1860	197
3	IPC 1860	198
4	IPC 1860	201
5	IPC 1860	409
6	IPC 1860	420

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 13/11/1995 **Date To (दिनांक तक):** 01/01/2010

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/09/2025 **Time (समय):** 12:45 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date and Time (दिनांक और समय):** 04/09/2025 12:45 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 3 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): Sector 08 Panchkula,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): SECTOR-7, PANCHKULA

District (State) (जिला (राज्य)): PANCHKULA (HARYANA)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Inspr. Shyam Lal

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 13/12/1979 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS SV and ACB PKL, ACB, Panchkula, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS SV and ACB PKL, ACB, Panchkula, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-7986918107

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	Shiv Raj Singh			1. The Then Naib Tehsildar PKL,SECTOR-7,PANCHKULA,PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,
प्रबंधक थाना,
राज्य सर्तकता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो,
सैक्टर-17, पंचकूला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि जांच क्रमांक 09 दिनांक 24.12.2020, पंचकूला मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग चण्डीगढ़ के यादी क्रमांक 58/42/2018-1 चौकसी (1) दिनांक 18.12.2020 व महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पचंकुला के पृ. क्रमांक 16320/आई.-1/रा.चौ.ब्यू. (ह.) पंचकुला, दिनांक 28.12.2020 अनुसार दर्ज रजिस्टर होने उपरान्त पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप थे कि

1. निदेशक भू-अभिलेख विभाग व निदेशक शहरी सम्पदा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मिली भगत करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुबन्ध के रुप में शिवराज सिंह पुत्र मेहर सिंह हाल नायब तहसीलदार शहरी सम्पदा विभाग सैक्टर-6 पंचकूला, को पटवार परीक्षा में फेल होने के बावजूद पटवारी पद पर भर्ती करना,
2. शिवराज सिंह का कार्य संतोष जनक ना होने के कारण सरकार द्वारा पटवारी शिवराज की सेवाएं समाप्त कर दी थी किन्तु शिवराज सिंह द्वारा फर्जी दस्तावेजों (रेवन्यू पटवार पास) के आधार पर माननीय पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका न. 11717/2000 दायर करके माननीय न्यायालय को गुमराह करना,
3. शिव राज सिंह द्वारा शहरी सम्पदा विभाग में नियमित होने के लिये माननीय पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका न. 7711/2008 दायर की जिसमें तत्कालिन निदेशक द्वारा जबाव दिया गया कि यह विभाग में नियमित होने योग्य नहीं है परन्तु माननीय न्यायालय में केस होने पर पटवारी शिवराज की सेवाएं नियमित किये जाना व
4. शिवराज सिंह द्वारा पटवार परीक्षा के तीन पेपरों में फेल होने पर भी निदेशक भू-अभिलेख विभाग व निदेशक सम्पदा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा मिली भगत करके पटवार परीक्षा के पेपरों मे फेल होने के बावजूद कानुनगों पेपर दिलाकर कानूनगो के पद पर नियुक्त करना व उसके सामान्य श्रेणी में होने के बावजूद निदेशक शहरी सम्पदा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा एस.सी श्रेणी में दिखाना व व्यक्तिगत रसूख के कारण लगभग 17 वर्ष से शिवराज सिंह का तबादला न होना। जांच की अंतिम रिपोर्ट श्री विरेन्द्र सिंह उप पुलिस अधीक्षक थाना राज्य चौकसी ब्युरो पंचकूला मंडल पंचकूला द्वारा तैयार की गई।

आरोप न0 1, 2, 3 व 4 की पडताल के दौरान पाया गया कि भू-अभिलेख विभाग हरियाणा द्वारा दिनांक 03.09.1991 से दिनांक 06.09.1991 को पटवारियों की परीक्षा आयोजित की जानी पाई गई, जिसका परिणाम 28.01.1992 को घोषित किया गया, जो रोल न. 326 पर उम्मीदवार शिवराज पुत्र मेहर सिंह पेपर न. 1, 4, 5 में रि-अपीयर रहना पाया गया। उसके उपरान्त दूसरे मौके में निदेशक भू-अभिलेख द्वारा दिनांक 15.07.1992 से दिनांक 16.07.1992 में पटवारियों की परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम दिनांक 14.10.1992 को घोषित किया गया। इस परिणाम में भी रोल न. 467 पर उम्मीदवार शिवराज सिंह पुत्र मेहर सिंह एक पेपर न. 5 में रि-अपीयर रहना पाया गया। इस सम्बन्ध में निदेशक भू-अभिलेख, हरियाणा, चण्डीगढ द्वारा हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्तों को यादि क्रमाक 2/92/3613-28 चण्डीगढ दिनांक 17.03.1992 अनुसार निर्देश दिये कि जो उम्मीदवार एक या दो पेपर में फेल हैं, उनको दो चांस में यह पेपर क्लीयर करने होगें। यदि नही किये गये तो उनको रीटरेन्च कर दिया जायेगा। जांच के दौरान हरियाणा शहरी सम्पदा विभाग पचंकूला के पत्र क्र. A-8-2022/7762 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार हरियाणा सरकार की अधिसूचना, वर्ष 1998 के नियमों की प्राप्त प्रति अनुसार ग्रुप-सी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एंव सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों का अध्धयन किया गया, जिसमें भर्ती से सम्बन्धित योग्यता है कि

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या इस परियोजन के लिये स्थापित कोई वैधानिक बोर्ड से दसवीं या समकक्ष परीक्षा,
2. पटवार परीक्षा पास की हो व
3. दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान हो।

इस सम्बन्ध में कार्यालय सम्पदा विभाग पंचकूला के पत्र क्रं. A-8-2022/1835 दिनांक 15.03.2022 के अनुसार प्रतिवादी शिवराज सिंह के पास हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं पास का प्रमाण पत्र है, जो योग्यता के बिन्दू न. (i) व (iii) की पुष्टि करता है। बिन्दू न. (ii) जो पटवार परीक्षा पास के सम्बन्ध में है, परन्तु प्रतिवादी शिवराज सिंह द्वारा पटवार परीक्षा पास नहीं की हुई थी। जो इस सम्बन्ध में पाया गया है, कि नियमों के अनुसार

शिवराज सिंह की नियुक्ति अनुबंध आधार पर अनुचित थी। प्रतिवादी शिवराज सिंह द्वारा तत्कालिन सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलकर, जानबूझकर तथ्यों को छुपातें हुए कि वह पटवार परीक्षा पास नहीं है, यह नियुक्ति प्राप्त की गई थी। इस अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति के लिए किये गए अपने आवेदन पत्र में यह झूठा दर्शाया गया कि वह पटवार परीक्षा पास है। वर्ष 2000 में आरोपी के अनुचित व्यवहार को देखते हुए आरोपी की अनुबंध आधार पर चल रही सेवांए को निष्कासित कर दिया गया था। जिसके विरोध में आरोपी द्वारा CWP No. 11717/2000 माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। जिसको माननीय न्यायालय द्वारा डिसमिस करते हुए रेमेडी ऑफ आर्बिट्रेशन का फायदा उठाने का आदेश शिवराज सिंह को दिया गया था। उसके उपरान्त आर्बिट्रेटर के द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया था और दिनांक 20.03.2002 को अपना निर्णय सुनाते हुए शिवराज सिंह के निष्कासन को सही ठहराया गया था। इस अवार्ड के विरुद्व भी शिवराज सिंह के द्वारा ए.डी.जे. पंचकूला की कोर्ट में अपील दायर की गई थी। परन्तु उपरोक्त कोर्ट के द्वारा भी शिवराज सिंह की अपील को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद शिवराज सिंह के द्वारा C.R. No. 5591@2000 माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पंचकूला को दिशानिर्देश दिए थे, कि शिवराज सिंह के द्वारा ए.डी.जे. पंचकूला की कोर्ट में दायर की गई अपील को आर्बिट्रेशन एण्ड कांन्सिलेशन एक्ट, 1996 के अन्तगर्त आब्जेक्शन मानते हुए सुनवाई करें। इसके पश्चात दिनांक 28.09.2005 को ए.डी.जे. पंचकूला के द्वारा सुनवाई करते हुए आर्बिट्रेटर के अवार्ड को तकनीकी आधार पर डिसमिस कर दिया गया था, कि उनके द्वारा आदेश पारित करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जिस पर दिंनाक 28.01.2006 को शिवराज सिंह को दोबारा अनुबंध आधार पर नियुक्ति दे दी गई थी।

उसके बाद सरकार की वर्ष 2003 की पॉलिसी का पालन करते हुए विभाग द्वारा अनुबंध आधार पर लगे कई कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया था। जो शिवराज सिंह द्वारा भी अपने उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया था कि उपरोक्त पॉलिसी के आधार पर उसकी सेवाएं भी नियमित की जाए। परन्तु उसकी सेवाएं नियमित नहीं की गई थी क्योंकि वर्ष 2000 से वर्ष 2005 तक शिवराज सिंह सरकारी सेवा में अनुबंध आधार पर कार्यरत नहीं रहा था। उसके उपरान्त अपनी सेवाएं नियमित करवाने के लिए प्रतिवादी द्वारा माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय में CWP No. 7711@200 दायर की गई थी। इसके बाद विभाग द्वारा पटवारी के पद पर शिवराज सिंह को नियमित करने बारे मे प्रस्ताव तत्कालिन निदेशक, शहरी संम्पदा विभाग हरियाणा के कार्यालय द्वारा सरकार को भेजा गया था। जिसके बाद उपरोक्त प्रस्ताव को एल.आर. की सलाह पर ए.जी., हरियाणा और मुख्य सचिव, हरियाणा से अनुमोदन होने उपरान्त सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया था। जिस पर विभाग द्वारा शिवराज सिंह की बतौर पटवारी सेवाएं सशर्त दिनांक 30.09.2010 को नियमित कर दी गई थी। उसके बाद शिवराज सिंह के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से अपनी पटीशन वापिस ली गई। विभाग से प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि फाइल पर उपलब्ध नोटिंग अनुसार शिवराज सिंह राजस्व पटवार पास तथा फिल्ड ट्रेनिंग पास है। इस नोटिंग फाइल पर तत्कालिन सहायक रामकुमार व उप अधीक्षक शाखा के हस्ताक्षर भी है और अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर भी है। शिवराज सिंह की नियमित नियुक्ति के दौरान नोटिंग फाइल पर यह नहीं दर्शाया गया कि शिवराज सिंह पटवार परीक्षा पास नही है। शिवराज सिंह द्वारा 02 बार ए.डी.जे. पंचकूला, 01 बार आर्बिट्रेटर के समक्ष तथा 03 बार माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, जिसमें उसके द्वारा पटवार परीक्षा पास ना होने बारे तथ्यों को छुपाकर फायदा लिया गया था। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा 02 बार तथ्यों को छुपाया जाना पाया गया है। पहली बार जब शिवराज सिंह अनुबन्ध आधार पर पटवारी नियुक्त हुआ था और दूसरी बार दिनांक 30.09.2010 को जब शिवराज सिंह को नियमित पटवारी के पद पर नियुक्त किया गया था। जो दोनो ही समय सम्बधित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उसके पटवार परीक्षा पास न होने बारे तथ्य छुपाए गए थे। अब जांच के दौरान सामने आया है कि शिवराज सिंह की सर्विस से सम्बन्धित मूल फाइल ही गायब कर दी गई है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि मूल फाइल गायब होने बारे विभाग द्वारा अभी तक कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नही करवाई गई है। इस प्रकार यह सारी कार्रवाई विभाग के कर्मचारियों के द्वारा शिवराज सिंह को फायदा पहुंचाने के लिए की जानी प्रतीत होती है।उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम मुकदमा दर्ज होने के पश्चात विस्तृत अनुसंधान में सामने आएंगे।

पड़ताल पर पाया गया कि वर्ष 1991 में सरकार द्वारा की गई 485 पटवारियों की भर्ती माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.1993 को रदद कर दी गई थी। उम्मीदवारों द्वारा इस फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया था। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उच्च न्यायालय के फैसले को सही मानते हुए अपील को

डिसमिस कर दिया गया था। प्रतिवादी शिवराज सिंह का नाम भी इस भर्ती में था।

उसके पश्चात दिनांक 13.11.1995 को शिवराज सिंह ने निदेशक शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा भूमि अर्जन कार्यालय सैक्टर-8 पंचकूला में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उसने प्रार्थना की, कि विभाग में कुछ पटवारी पद खाली पडे है। मै रैवन्यू पटवार पास तथा फील्ड ट्रेनिंग पास हू तथा रैवन्यू कार्य को भली भाती जानता हू कृप्या मुझे अपने विभाग में बतौर पटवारी के पद पर नियुक्त करके सेवा का मौका दिया जाए, जिस पर प्रतिवादी को अनुबंध आधार पर 89 दिन के लिए पटवारी रखा गया था। जो शिवराज सिंह को समय-समय पर आगे भी लगातार विभागीय स्वीकृति दी जाती रही थी। जिसमें प्रत्येक बार 01 एग्रीमेंट भरकर दिया जाता था, कि जब तक एस.एस. बोर्ड से नियमित पटवारी उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक अनुबधं सेवाएं जारी रखी जाएगी और विभाग में नियमित पटवारी आने पर सेवाएं किसी भी समय समाप्त कर दी जाएगीं। जो यह सभी नियुक्तिया अनुबंध आधार पर थी। विभाग द्वारा कानूनगों की परीक्षा दिनांक 03.01.2013 से दिनांक 04.01.2013 तक ली गई थी। दिनांक 18.05.2013 को हरियाणा शहरी प्रधिकरण विभाग द्वारा प्रमोशन नोटिंग फाईल पर शिवराज सिंह पटवारी से कानूनगों के लिए नाम चयन हुआ था, जिस पर निदेशक भू-अभिलेख विभाग हरियाणा द्वारा कानूनगो की परीक्षा ली गई थी, जिसमें शिवराज सिंह के द्वारा भी परीक्षा दी गई थी और उस द्वारा परीक्षा उर्तीण कर ली गई थी। जो रिकार्ड अनुसार रोस्टर रजिस्टर में बिंदू पर एस.सी. उम्मीदवार ना होने के कारण शिवराज सिंह को उस पर दर्शाया गया है। इस सम्बंध में अपर निदेशक अर्बन स्टेट हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय के मीमो नम्बर A-8-2022@4309 दिनांक 22.06.2022 अनुसार शिवराज सिंह के एस.सी. श्रेणी का कोई लाभ नहीं दिया गया था। इसके बाद सरकार द्वारा शिवराज सिंह को कानूनगो तथा नायब तहसीलदार के पद पर पदोनित किया गया था उपरोक्त पुरे प्रकरण में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा आरोपी शिवराज सिंह के द्वारा पटवार परीक्षा पास ना होने बारे किसी भी समय नोटिंग पर नहीं लिखा गया था। बल्कि वर्ष 1995 मे आवेदक शिवराज सिंह को अनुबंध आधार पर विभाग में नियुक्त करने बारे उच्च अधिकारियो को प्रस्तुत किए गए कार्यालय प्रस्ताव में आवेदक के पटवार परीक्षा पास होने का उल्लेख किया गया है। जब आरोपी के विरूद्व उपरोक्त विषय में शिकायत प्राप्त हुई तो तत्कालिन निदेशक के द्वारा दिनांक 29.09.2022 को शिवराज सिंह को दोषी मानते हुए कम्पलसरी रिटायर भेजने के आदेश जारी किए गए थे। आरोपी द्वारा सभी सरकारी लाभ गलत तथ्य पेश करते हुए प्राप्त किए गए। अतः शिवराज सिंह, तत्कालिन नायब तहसीलदार द्वारा वर्ष 1995 में बिना पटवार परीक्षा पास किए तत्कालिन अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके अनुबन्ध आधार पर पटवारी की नियुक्ति प्राप्त करना व बाद मे अपनी नियुक्ति से सम्बन्धित विभागीय दस्तावेज फाइल को गायब करना व वर्ष 2010 में तत्कालिन अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलीभगत करके, नियमित पटवारी की नियुक्ति लेने बारे मे उपरोक्त आरोप सिद्ध होने पर शिवराज सिंह तत्कालिन नायब तहसीलदार व सम्बन्धित तत्कालिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध धाराधीन 177, 197, 198, 201, 409, 420 भा.दं.सं. के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने का सुझाव दिया गया था। जांच की अन्तिम रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, हरियाणा पंचकूला की टिप्पणी सहित पत्र क्रमाक 6505/एसीबी (एच) दिनांक 28.02.2024 द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमाक 58/42/2018-1 चौ. दिनांक 25.07.2025, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन 15037/आई-k /एस.वी.एंड.ए.सी.बी. (एच) दिनांक 30.07.2025 पंचकूला की अनुपालना में शिवराज सिंह के विरूद्ध धारा 177, 197, 198, 201, 409, 420 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियोग अंकित करने तथा अनुसंधान के दौरान यदि किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी की भूमिका पाई जाती है तो उस अधिकारी/कर्मचारी विशेष के विरूद्व सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाने बारे आदेश प्राप्त हुए हैं जिनकी अनुपालना में लेख लिखकर बराये करने अंकित अभियोग आपके पास भेजा जा रहा है। जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां स्पेशल जज अदालत, पंचकूला व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जाए अभियोग की पुलिस फाइल व असल लेख आगामी अनुसंधान हेतु अन्य अनुसंधान अधिकारी के हवाले किया जाए। अज-थाना राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला। Sd Shyam Lal (नि. श्याम लाल) थाना राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकुला। दिनांक 04.09.2025 समय 12.30 पी.एम.

अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 11 दिनांक 04.09.2025 धारा 177, 197, 198, 201, 409, 420 भा.दं.सं. थाना राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सैक्टर-17 पंचकूला अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट ई. मेल के माध्यम से स्पैशल मैजीस्ट्रेट साहब, पंचकूला, जिला पंचकूला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । अभियोग के आगामी अनुसंधान हेतु उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने उपरान्त अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया

जाएगा। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही :** चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Shyam lal **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 123pkl **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): VIRENDER SINGH SANGWAN

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

Error: Subreport could not be shown.